



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)

(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

महत्त्वपूर्ण सूचना

हरियाणा राज्य के सभी राजकीय व अराजकीय स्थाई/अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय व संस्कृत गुरुकुल एवं हरियाणा राज्य में स्थित CBSE/ICSE एवं अन्य बोर्डों से स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा आठवीं (संस्कृत गुरुकुल के संदर्भ में 'प्रथमा') के विद्यार्थियों की शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए एनरोलमेंट रिटर्न एक बार में (एकमुश्त) ऑन-लाईन दर्ज की जानी हैं। एनरोलमेंट हेतु हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 100/-रु0 प्रति विद्यार्थी है एवं CBSE/ICSE एवं अन्य सभी बोर्डों से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों से 100/-रु0 प्रति छात्र एनरोलमेंट फीस तथा 5000/-रु0 प्रति विद्यालय रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाया जाना है। एनरोलमेंट एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क कक्षा आठवीं के लिए ऐक्सिस बैंक (AXIS)/आई0सी0आई0सी0आई0 (ICICI) बैंक द्वारा गेटवे पेमेंट के माध्यम से भेजा जाना है।

आठवीं के एनरोलमेंट रिटर्न आवेदन करने की तिथियाँ

कक्षा	100/- एनरोलमेंट शुल्क	300/- रु0 विलम्ब शुल्क सहित
आठवीं	08.02.2022 से 20.02.2022 तक	21.02.2022 से 28.02.2022 तक

- सभी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के "एनरोलमेंट रिटर्न" के आवेदन पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क सहित एक बार ही (एकमुश्त) ऑन-लाईन करना सुनिश्चित करें। एनरोलमेंट हेतु विद्यालय का पासवर्ड जो पहले ही निर्धारित है।
- इस समय कक्षा आठवीं के उन्हीं विद्यार्थियों के एनरोलमेंट आवेदन किए जाने हैं, जिन्हें शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश दिया गया है।
- विद्यार्थियों की नवीनतम फोटो "विद्यालय वर्दी" में तिथि सहित होनी चाहिए।
- बोर्ड की वेबसाइट के एनरोलमेंट लिंक के अंत में निम्न अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए सभी संबंधित विद्यालय विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें यदि बाद में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है या मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेवार होगा :-

CERTIFICATES:-

- The Spelling of the Name, Father's Name, Mother's Name, Date of birth and other particulars mentioned in the return are in accordance with the relevant admission and withdrawal Register/Original Certificates. The admission of all students have been made in time.
 - The School has been granted recognition for this particular session by the Education Department of Haryana and affiliated to the Board. The school affiliated to CBSE/ICSE or any other recognized Board should be situated in Haryana.
 - All the students mentioned in the enrolment return except those admitted on migration from other State have been studying in this institution right from the beginning of the academic session and those admitted on migration have been admitted according to the Board's rules.
 - The names of all the candidates who have been admitted up to the last date, are being sent in the enrolment return and no candidate has been left out.
 - We have gone through the Rules/Regulation relating to enrolment carefully and the return is being sent according to these Rules/Regulations. If any mistake is found at the later stage School shall be responsible.
5. यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि संस्था द्वारा किसी छात्र को एनरोलमेंट के नियम/विनियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रवेश दिया गया तो उस छात्र की पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा छात्र सरकारी संस्था का होने पर मुखिया के खिलाफ कार्रवाही

करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और यदि छात्र अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है तो पहली गलती पाए जाने पर एनरोलमेंट विनियम 21 के अंतर्गत एक लाख रू0 (100000/-रू0) आर्थिक दण्ड तथा दूसरी गलती पाए जाने पर तीन लाख रू0 (300000/-रू0) का आर्थिक दण्ड व तीसरी गलती पाए जाने पर विद्यालय की सम्बद्धता रद्द कर दी जायेगी।

6. जिन संस्थाओं द्वारा बोर्ड कार्यालय के विनियमों की उल्लंघना करके छात्रों को गलत तरीके से प्रवेश दिये गये हैं और बोर्ड कार्यालय द्वारा उनके एनरोलमेंट क्रमांक रद्द करने तथा अनुक्रमांक जारी न करने की स्थिति में छात्रों द्वारा किसी भी कोर्ट में केस दायर करने पर बोर्ड कार्यालय को पार्टी बनाया जाता है तो विद्यालय से उनकी लापरवाही के लिए आने वाले कोर्ट केस का खर्च वसूला जाएगा तथा विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
7. एनरोलमेंट के संबंध में पूछताछ हेतु बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिभावक को न भेजा जाए।
8. शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा आठवीं के छात्रों की एनरोलमेंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार नम्बर भी लिखा जाना आवश्यक है।
9. छात्र के पिता का आधार नम्बर भी भरें। यदि किसी कारणवश पिता का आधार नम्बर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें।
10. विद्यालयों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के एनरोलमेंट के सभी आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में एक बार (एकमुश्त) ही ऑन-लाईन भेजे। इसके पश्चात् आवेदन करने के लिए अनुमति नहीं होगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी छात्र का आवेदन-पत्र ऑफ-लाईन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दाखिला खारिज रजिस्टर (**Admission Withdrawl Register**) में अंतिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की छायाप्रति भी अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है।
11. यदि किसी विद्यालय द्वारा किसी भी कारणवश एनरोलमेंट शुल्क दो या दो से अधिक बार जमा करवा दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में विद्यालय शुल्क वापिसी हेतु एनरोलमेंट आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिन के अन्दर-अन्दर सम्पूर्ण विवरण (Benefeciary Name, Account No., IFSC Code, Bank Branch Name) सहित प्रार्थना-पत्र ई-मेल asenr@bseh.org.in पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एनरोलमेंट शुल्क वापिसी बारे बोर्ड कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।
12. किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं0 9896582271 तथा 9728666953 या 01664-254302 पर सम्पर्क करें। इसके अतिरिक्त सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664-244171 से 176 Ext. 164 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है एवं हैल्पलाईन ई-मेल enrollmentbsehhelp@gmail.com तथा asenr@bseh.org.in पर ई-मेल भेजी जा सकती हैं।

उपरोक्त वर्णित के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं एनरोलमेंट रिटर्न बारे लिंक <https://school.bseh.net/> बोर्ड की वैबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध हैं।


सहायक सचिव (एनरोलमेंट)
कृते : सचिव